दिनांक 25.03.2025

प्रति,

माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय,
मध्यप्रदेश शासन भोपाल
मध्यप्रदेश

विषयः— **झाबुआ विधानसभा चुनाव क्षेत्र 193 के विधायक विक्रांत भूरिया एवं पूर्व विधायक झाबुआ कान्तिलाल भूरिया द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि करोडपति व्यापारियों, टेन्ट व्यापारी, होटल मालिक, किराना दुकानदारो, होर्डिंग छापने वालो को नियम विरूद्ध राशि दी गई है और करोडो रूपए का गबन किया गया है इस कारण उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच कराने एवं विधायक विक्रांत भूरिया को पद से हटाने तथा स्वेच्छानुदान की राशि वसूली करने बाबद्।**

महोदय,

आपसे निवेदन है कि झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया एवं पूर्व विधायक कान्तिलाल भूरिया द्वारा स्वेच्छानुदान राशि गरीब हितग्राहियों को देने के बजाय करोडपति व्यापारियों, होटल मालिक, टेन्ट कारोबारी, किराना दुकानदारो, होर्डिंग छापने वाले व्यापारियों, उनके कार्यालय घर पर काम करने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातो में नियम विरूद्ध राशि डाली गई है तथा एक साल में पच्चीस हजार स्वेच्छानुदान की राशि एक हितग्राही को देने का अधिकार विधायक को है लेकिन वर्तमान एवं पूर्व विधायक द्वारा एक हितग्राही को दो से तीन बार पच्चास हजार तक स्वेच्छानुदान की राशि एक साल के भीतर देकर स्वेच्छानुदान की राशि का घोटाला किया गया है इस कारण उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाकर वर्ष 2019 से आज दिनांक तक स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राहियों को दी गई है उनकी जांच तथा उनके कारोबार की जांच कर विक्रान्त भूरिया को विधायक पद से हटाने एवं व्यापारियों एवं उनके परिवार वालो को नियम विरूद्ध एक साल में दो से तीन बार राशि दी गई है उसे वसूली करने के नीचे लिखे बिन्दु अनुसार निर्देश देने की कृपा करें।

1. यह कि रूपेश सकलेचा, चेतना सकलेचा, विक्की सकलेचा, सतीश नहार, राजेन्द्र कुमार, अक्षत जैन, सुनिल जैन, सरिता जेन, हुसैनी बोहरा, अब्दुल बोहरा, डॉक्टर दिनेश गाहरी, गोपाल, भारतलाल ये सभी बड़े व्यापारी करोडपति व्यापारी है इन व्यापारियों को स्वेच्छानुदान की राशि नियम विरूद्ध दी गई है और गरीब हितग्राहियों को लाभ देने से वंचित किया गया है इस प्रकार घोटाला किया गया है इस कारण व्यापारियों के कथन एवं उनके कारोबार की जांच

निरन्तर...2...

Mater

कराकर राशि वसूलने के निर्देश देने की कृपा करें दिनांक 09.02.2023, 02.03. 2023, 16.06.2023, 25.07.2023, 13.09.2023, 01.08.2023, 21.10.2024, 06.01. 2025 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां पत्र क`साथ संलग्न है।

2. यह कि प्रमोद श्रीवास्तव, अर्पिता श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव, जुवानसिंह डामोर, सूरज डामोर, बदिया डामोर, शुभम राव, राजेश राव, योगेन्द्र भूरिया, राजु भूरिया, रेखा भूरिया, अन्तर भूरिया, रोहित हटिला, प्रियांशु हटिला, पियुष हटिला, अक्षय कटारा, दिपिका हटिला, अमित हटिला, रवीना हटिला, मुन्ना डामोर, प्रमिला डामोर, राकेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, चादनी ताहेड, पासु ताहेड, नन्दिनी, सचिन बामनिया, राधा बामनिया, वर्षा बामनिया, संजय, पीडू, रालू, राहुल यह हितग्राही व्यापारी एवं विधायक कार्यालय पर काम करने वाले कर्मचारी एवं कर्मचारियों के परिवार के लोग है एक ही परिवार के तीन या चार सदस्यों की नियम विरूद्ध एक साल में दो से तीन बार स्वेच्छानुदान की राशि दी गई दिनांक 09.02.2023, 26.05.2023, 25.07.2023, 08.09.2023, 16.08.2023, 13.09. 23, 05.09.2024 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां पत्र के साथ संलग्न है इन हितग्राहियों के कारोबार तथा एक ही परिवार के तीन से चार सदस्यों को राशि दी गई है इसकी जांच करने के निर्देश देने की कृपा करे और नियम विरूद्ध राशि का गबन किया गया है राशि वसूलने के निर्देश देने की कृपा करें।

3. यह कि बिन्दु क्रमांक 03 में लिखे हितग्राहियों को दो से तीन बार एक साल के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि नियम विरूद्ध दी गई है प्रियाश हटिला, पीयूष हटिला को तीन बार दिनांक 09.02.2023, 08.09.2023, 05.09.2024 को कुल राशि 60,000/– रू. दिये गये अक्षय कटारा को दो बार में 35,000/– रू. दिनांक 09.02.2023, 08.09.2023 को दिये गये शुभम राव को दो बार दिनांक 26.05.23, 13.09.2023 को 35,000/– रू. दिये गये, रूपेश सकलेचा, सतीश नहार, राजेन्द्र कुमार, गोपाल, योगेन्द्र भूरिया, राजू भूरिया, रेखा भूरिया, अन्तर भूरिया एक साल के भीतर दो–दो बार नियम विरूद्ध स्वेच्छानुदान की राशि 35–35 हजार रू. दिये गये है जबकि स्वेच्छानुदान की राशि एक हितग्राही को 25,000/– रू. देना का शासन द्वारा निर्देश दिया गया है इस तरह स्वेच्छानुदान की राशि का गबन किया गया है इसलिये जांच के निर्देश देकर राशि वसूलने के भी निर्देश देने की कृपा करे, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां संलग्न है।

4. यह कि झाबुआ वर्तमान एवं पूर्व विधायक पिता पुत्र है वर्तमान एवं पूर्व विधायक द्वारा आम जनता के टेक्स प्राप्त स्वेच्छानुदान की राशि बडे–बडे करोडपति

निरन्तर...3..

6. व्यापारियों को दी गई है और जो अतिगरीब व्यक्ति है। उन लोगों की राशि नहीं दी है क्योंकि वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक द्वारा व्यापारियों से उनकी दुकानो से निजी उपयोग घरेलू उपयोग तथा कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी गई और होर्डिंग, टेन्ट आदि पार्टी कार्यक्रम के लिये लगाये गये इस कारण टेन्ट व्यापारियों के बैंक खातो में स्वेच्छानुदान की राशि डाली गई है और स्वेच्छानुदान राशि का वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक द्वारा वर्ष 2019 से आज दिनांक तक करोडो रूपये का घोटाला किया गया है जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है इसलिये वर्ष 2019 से आज दिनांक तक स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राही को दी गई है पांच हजार, दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार, पच्चीस हजार उन हितग्राहियों की सूची निकालकर उनको कितनी–कितनी बार राशि दी गई है उसकी जांच करने के निर्देश देने की कृपा करें।

5. यह कि भारतलाल होटल मालिक है विधायक विक्रान्त भूरिया एवं कान्तिलाल भूरिया के कार्यालय से 100 मीटर करीबन दूरी पर होटल भारतलाल की है भारतलाल को चार महिने के भीतर दो बार दिनांक 26.05.2023 एवं 13.09.2023 को दस एवं पच्चीस हजार रू. कुल पैतीस हजार रू. स्वेच्छानुदान से दिये गये है हॉटल व्यापारी को दिनांक 26.05.2023 को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं 13.09.2023 को गरीबी हेतु आर्थिक सहायता के नाम से राशि दी गई है भारतलाल बहुत बडी होटल मालिक है और वह पढ़ाई नहीं करता है विधायक कार्यालय पर भारतलाल की होटल से चाय, नाश्ता प्रतिदिन आता है चाय, नाश्ता के रूपये स्वेच्छानुदान की राशि से दिया गया इस कारण दोषी पूर्व विधायक कान्तिलाल भूरिया के खिलाफ गबन करने का प्रकरण दर्ज कर राशि वसूलने के निर्देश देने की कृपा करें।

6. यह कि कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला झाबुआ द्वारा हितग्राहियों की बिना जांच किये स्वेच्छानुदान की राशि करोडपति व्यापारियों के बैंक खातो में डाल दी गई हितग्राहियों का पूरा नाम एवं पता भी नहीं लिखा गया एक ही परिवार के तीन से चार सदस्यों के बैंक खातो में राशि डाली गई कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला झाबुआ द्वारा भी बिना जांच किये कई सदस्यों को दो से तीन बार एक साल के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि बैंक खातो में डाली गई है इससे साफ जाहिर होता है कि कलेक्टर (जिला योजना एवं साख्यिकी) जिला झाबुआ द्वारा भी गबन करने में पूरा साथ दिया गया है इस कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने एवं कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें।

निरन्तर...4..

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि झाबुआ विधायक विक्रान्त भूरिया एवं पूर्व विधायक द्वारा वर्ष 2019 से आज दिनांक तक पांच हजार, दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार, पच्चीस हजार रू. एक साल के भीतर दो या तीन बार बड़े व्यापारियों, कार्यालय कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों और एक ही परिवार के तीन–चार सदस्यों को स्वेच्छानुदान की राशि उनके बैंक खातो में डालकर घोटाला, गबन निजी कार्य के लिये किया है इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच कराने एवं स्वेच्छानुदान की गबन की गई है उसकी वसूली करने तथा विधायक विक्रान्त भूरिया को पद से हटाने तथा एवं पूर्व विधायक कान्तिलाल भूरिया के खिलाफ स्वेच्छानुदान की राशि का गबन (घोटाला) करने का प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश देने की कृपा करें ताकि गरीबी को दी जाने वाली राशि का आने वाले समय में कोई जनप्रतिनिधि गबन (घोटाला) नहीं कर पायेंगे और गरीब हितग्राहियों को आर्थिक सहायता मिल पायेगी यही निवेदन मेरा आपसे है।

<u>संलग्न–</u>

1. पेज नम्बर 01 से लगायत 99 तक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां जांच हेतु प्रेषित है।

मथियास भूरिया
ग्राम दौतड़ पो. कुन्दनपुर
तह. रानापुर जिला झाबुआ म.प्र.
मो.नं. 6260874875

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन भोपाल
2. माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश शासन भोपाल

मथियास भूरिया
ग्राम दौतड़ पो. कुन्दनपुर
तह. रानापुर जिला झाबुआ म.प्र.
मो.नं. 6260874875